


FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

किरम मुकदमा पत्थरगढ़ी बनाम नं. 162/22 सन् 2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिधिल्ला जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तारीख में जारी हुए |
|-------------|--|--|
| 16/6/22 | <p>प्राथी की ओर से वकील श्री <u>निलीप कुमार शर्मा</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नक्सा जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जाच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>झाड़साही</u> पटवार मण्डल <u>भायेली बागपिन</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>499/12</u> रकबा <u>0.6500</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी हैं प्राथी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वहस सुनी गई। प्राथी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>1000</u> - अक्षर <u>एक</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये मौजा <u>झाड़साही</u> पटवार मण्डल <u>भायेली बागपिन</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>499/12</u></p> <p>रकबा <u>0.6500</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकदमल तौर पर की जावे।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>16.7.22</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> | |


उपखण्ड अधिकारी
डूंगला